

प्रेस नोट दिनांक:- 30.05.2022 थाना लोटन

=====

थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर से 01 वारंटी को माननीय न्यायालय द्वारा जारी वाद संख्या 194/15 धारा 323/504/506 आईपीसी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

डॉ. यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली लोटन श्री देवनन्दन उपाध्याय के नेतृत्व में संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए वाद संख्या 194/15 धारा 323/504/506 आईपीसी में निर्गत एन.बी.डब्लू मा. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धार्थनगर के अनुपालन में कार्यवाही करते हुये 01 वारन्टी को आज दिनांक 30.05.2022 को समय करीब 06.30 बजे गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- वेचई पुत्र प्रसाद साकिन सेमरहना थाना को0 लोटन जनपद सिद्धार्थ नगर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी-

01. उ.नि. जितेन्द्र कुमार शाही थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर
02. हे0का0 सुरजीत निषाद थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर
03. का. नीरज कुमार गौड थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट-थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थ नगर दिनांक 30.05.2022

महिला सशक्तिकरण व साइबर हेल्प लाइन के क्रम में महिला बीट पुलिस अधिकारी व महिला हेल्प डेस्क अधिकारी द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान

डॉ0 यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के सुरक्षा एवं जागरूकता अभियान" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व श्री सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री अजय कुमार श्री वास्तव क्षेत्राधिकारी डुमरिया गंज के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 30.05.2022 को श्री राजेश कुमार मौर्य थानाध्यक्ष थाना पथरा बाजार सिद्धार्थनगर के निर्देशन में महिला बीट पुलिस अधिकारी, महिला आरक्षी रोशनी यादव व महिला आरक्षी ममता मिश्रा द्वारा महिलाओं, बच्चों के साथ महिला सम्बन्धी अपराध, महिला सुरक्षा के सम्बन्ध में ग्राम रामभारी में जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया गया तथा महिलाओं व बच्चियों को महिला सम्बन्धी अपराध एवं साइबर सम्बन्धी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु जारी हेल्प लाइन 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्प लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, 112 पुलिस हेल्प लाइन, 1098 चाईल्ड एवं साइबर हेल्प लाइन 1930 के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।

प्रेस नोट दिनांक 30-05-2022

थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अन्तर्जनपदीय चोर 01 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार व 04 अदद लाकेट, एक अदद टिकुली, एक अदद सिकड़ बरामद ।

डॉ0 यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री हरिश्चन्द्र क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष जय प्रकाश दूबे के नेतृत्व में आज दिनांक 30.05.2022 को व0उ0नि0 मनोज श्रीवास्तव व उ0नि0 हरिओम कुशवाहा मय टीम द्वारा आज दिनांक 30.05.2022 को प्लाईउड तिराहा थाना शोहरतगढ़ से 01 नफर चोर को समय करीब 10.20 बजे पकड़ लिया गया जिसके कब्जे से चार अदद लाकेट बरंग पीली धातु, एक अदद टिकुली बरंग पीली धातु, एक अदद सिकड़ बरंग पीली धातु बरामद हुई उक्त के सम्बंध में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-133/2022 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसके बाद मुकदमें में बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर धारा 411/413 भा0द0वि0 का बढ़ोत्तरी किया गया । थाना शोहरतगढ़ पुलिस द्वारा मन्दिर में चोरी के 24 घण्टे के अन्दर सफल अनावरण किया गया ।

अभियुक्त द्वारा दिनांक 29.05.2022 को दोपहर में डोहरिया खुर्द लाल बहादुर बड़ई की रामजानकी मन्दिर के अन्दर से रामजानकी, लक्ष्मण व सूर्य की मूर्तियों पर से आभूषण चोरी की गयी है । अभियुक्त द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि उसके द्वारा गोरखपुर, महाराजगंज आदि जगहों पर मन्दिरों में घूम घूम कर पूजा पाठ कर मन्दिर के गहनो व घण्टों आदि की चोरी की जाती है जिसको बेचकर व्यापार कर अपना जीवन यापन किया जाता है ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 105/17 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज ।
2. मु0अ0सं0 11/21 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर ।
3. मु0अ0सं0 28/21 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर ।
4. मु0अ0सं0 179/21 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर ।
5. मु0अ0सं0 133/22 धारा 380/411/413 भा0द0वि0 थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर ।

बरामदगी का विवरण- (जो रामजानकी मन्दिर से चोरी किया गया)

01. चार अदद लाकेट ।
02. एक अदद टिकुली ।
03. एक अदद सिकड़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

01. सन्तोष कुमार वर्मा पुत्र स्व0 गंगा सागर नि0 म0नं0 180 शाहाबाद गल्ला मण्डी रोड थाना बृजमनगंज जनपद महाराजगंज उ0प्र0 । उम्र 48 वर्ष
- गिरफ्तार करने वाली टीम-
1. थानाध्यक्ष जय प्रकाश दूबे , थाना शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर ।
 2. व0उ0नि0 मनोज श्रीवास्तव, थाना शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर ।
 3. उ0नि0 हरिओम कुशवाहा, थाना शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर ।
 4. मु0आ0 सुनील दूबे, थाना शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर ।
 5. का0 भुआल यादव, थाना शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर ।
 6. का0 धीरज यादव थाना शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 30.05.2022

शिक्षा माफिया गैंग लीडर राकेश कुमार सिंह को किया गया गिरफ्तार ।

डॉ० यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में श्री सुरेश चंद्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक

सिद्धार्थ नगर के कुशल निर्देशन में तथा श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी महोदय सदर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं

अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत श्री संतोष कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मोहाना के नेतृत्व में

थाना सिद्धार्थनगर पर दिनांक 28.05.2022 को मु.अ.सं. 126/2022 धारा 3(1) यू.पी. गैंगेस्टर एक्ट थाना व जिला सिद्धार्थनगर

बनाम 1. गैंग लीडर राकेश कुमार सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी खुईचवर थाना भाटपार रानी जिला देवरिया, 2. सदस्य अश्वनी

कुमार श्रीवास्तव पुत्र लक्ष्मी शंकर श्रीवास्तव साकिन बरडिहा थाना खुखुन्द जिला देवरिया, 3. सदस्य बृज किशोर उर्फ भोला पुत्र

स्व. रामचन्द्र साकिन कुईचवर थाना भाटपार रानी जिला देवरिया पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक

मोहाना श्री सन्तोष कुमार द्वारा की जा रही है, विवेचना का सफल अनावरण करते हुए प्रभारी निरीक्षक मोहाना श्री सन्तोष कुमार

सिंह मय हमराह का० बट्टी विशाल मौर्या, का० आशुतोष गोस्वामी के साथ मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्तों की तलाश में क्षेत्र में

मामूर थे कि मुखविर खास की सूचना पर मुकदमे में नामित अभियुक्त गैंग लीडर राकेश कुमार सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी

खुईचवर थाना भाटपार रानी जिला देवरिया हाल पता विछिया निकट ताड़ीखाना चौराहा थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को सिकरी

बाजार ओबा माई स्थान के आगे 100 मीटर मुख्य सड़क से मय एक अदद स्वीफ्ट कार नम्बर UP60AK2815 के साथ समय

करीब 16.35 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से बरामद मारुति स्वीफ्ट कार रंग सफेद के सम्बन्ध में कागजात प्रस्तुत

करने हेतु कहा गया तो मौके पर कोई कागजात नहीं दिखा सका। अतः बरामद स्वीफ्ट कार नम्बर UP60AK2815 को जरिये

मोबाइल एप अन्तर्गत धारा 207 एम.वी. एक्ट में सीज कर कब्जा पुलिस में ले लिया गया।

पूछताछ विवरण:- अभियुक्त राकेश कुमार सिंह द्वारा पूछताछ में बताया गया कि मैं सन् 2009 का शिक्षक के पद पर भर्ती हूँ, तथा

मेरी पहली नियुक्ति प्राथमिक विद्यालय कठेला ग्राण्ट ब्लॉक इटवा में हुई, जहाँ पर मैं सन् 2012 तक बतौर शिक्षक के पद पर कार्य

किया हूँ। उसके बाद हेड मास्टर के पद पर प्राथमिक विद्यालय खड़खुइयाँ नानकार थाना देबरुआ जिला सिद्धार्थनगर में कार्यरत हूँ

। मैंने अपने कार्यकाल में बहुत लोगों को शिक्षक के पद पर फर्जी नियुक्ति पत्र, अंक पत्र आदि के माध्यम से भर्ती कराया है। प्रत्येक

शिक्षक भर्ती कराने में मुझे लगभग 4-5 लाख रुपये मिल जाया करते हैं। मैंने फर्जी शिक्षक भर्ती के माध्यम से लाखों रुपया कमाया

है। और उन्ही पैसे से मैंने घर, मकान, जमीन, गाड़ी आदि भी लिया है। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। एक दर्जन

फर्जी शिक्षक आज भी जनपद सिद्धार्थनगर में नियुक्त हैं तथा साथ-साथ बी.एस.ए आफिस सिद्धार्थनगर में भी कुछ पूर्व से नियुक्त

लिपिक/बाबू तथा वर्तमान में नियुक्त लिपिक/बाबू जो फर्जी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हैं। जिनका जांच कराया जाना आवश्यक है

।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- राकेश कुमार सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी खुईचवर थाना भाटपार रानी जिला देवरिया वर्तमान

पता- विछिया निकट ताड़ीखाना चौराहा थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का दिनांक व समय – दिनांक 29.05.2022 समय करीब 16.35 बजे

गिरफ्तारी का स्थान - सिकरी बाजार ओबा माई स्थान (थाना मोहाना) के आगे 100 मीटर मुख्य सड़क से

शिक्षा माफिया राकेश कुमार सिंह का आपराधिक इतिहास:-

क्र०स० मु०अ०स० धारा थाना जनपद परिणाम

1. 7ए/1988 157,323 भा०द०वि० भाटपार रानी देवरिया ए-10 दिनांक 19.06.1988

2. 01/1996 147,148,307,506 भा०द०वि० भाटपार रानी देवरिया ---

3. 1बी/1996 394 भा०द०वि० भाटपार रानी देवरिया ---

4. 36/1999 147,148,149,307,506 भा०द०वि० भाटपार रानी देवरिया ए-72 दिनांक 04.07.1999

ए-72 दिनांक 10.04.2000

5. 234/1999 353,504,506 भा०द०वि० भाटपार रानी देवरिया ए-4 दिनांक 21.01.2000

6. 73/2003 408,409,419,420 भा०द०वि० भाटपार रानी देवरिया ---

7.	643/2015	147,148,323,504,506,457,307 भा0द0वि0	भाटपार रानी	देवरिया ए-85	दिनांक
	17.11.2015				
8.	21/2021	341,323,504,506 भा0द0वि0	भाटपार रानी	देवरिया ए-37	दिनांक 23.04.2021
9.	1403/2020	419,420,467,468,471,120बी भा0द0वि0	कैण्ट	गोरखपुर ए-01	दिनांक
	17.03.2021				
10.	273/2018	419,420,467,468,471भा0द0वि0	सिद्धार्थनगर	सिद्धार्थनगर ए-01	दिनांक
	15.03.2019				
11.	259/2018	419,420,467,468,471भा0द0वि0	सिद्धार्थनगर	सिद्धार्थनगर ए-01	दिनांक
	26.03.2019				

सम्पत्ति विवरण शिक्षा माफिया गैंग लीडर राकेश कुमार सिंह

1. फार्चूनर (रजि0नम्बर UP52AJ0007)
2. स्कार्पियो (रजि0नम्बर UP52AL0007)
3. स्वीफ्ट कार (रजि0नम्बर UP60AK2815)
4. मकान विछिया गोरखपुर किमत लगभग एक करोड़
5. स्कूल- जे0डी0एस0 इण्टरनेशनल इण्टरमीडिएट कालेज जैतपुरा भाटपरानी जिला देवरिया किमत लगभग डेढ़ करोड़ ।
6. राकेश कुमार सिंह के पिता के नाम से 07 एकड़ खेत कुईचवर भाटपार जिला देवरिया
7. 03 एकड़ खेत गोठनी बिहार
8. 3.5 एकड़ जमीन लखीमपुर खीरी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सन्तोष कुमार सिंह थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
2. का0 बट्टी विशाल मौर्या थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर
3. का0 आशुतोष गोस्वामी थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट- थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 30.05.2022
थाना चिल्हिया पुलिस द्वारा वाछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

डॉ. यशवीर सिंह पुलिस अधीक्षक महोदय सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, श्री सुरेश चन्द्र रावत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन, श्री हरीशचन्द्र क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में, श्री ज्ञानेन्द्र कुमार राय प्रभारी निरीक्षक थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में दिनांक 30.05.2022 को वाछित अभियुक्त सुरेंद्र नाथ शुक्ला सम्बन्धित मु0अ0स0 59/22 धारा 323/504/324/354/506 भा.द.वि. को गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सुरेंद्र नाथ शुक्ला उर्फ भुङ्डूर पुत्र स्व0 हरिद्वार शुक्ला निवासी शाहा थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर

पुलिस टीम का विवरण-

- 01- उ0नि0 रिकू तिवारी थाना चिल्हिया सिद्धार्थनगर
02. कांस्टेबल राहुल यादव थाना चिल्हिया
03. कांस्टेबल गौतम मिश्रा थाना चिल्हिया

आपरेशन शिकंजा

ऑपरेशन शिकंजा अंतर्गत प्रभावी पैरवी कराकर अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड मुबलिक 30,000/- हजार से दण्डित कराया गया है ।

अपर पुलिस महानिदेशक, गोरखपुर जोन गोरखपुर उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान आपरेशन शिकंजा के अन्तर्गत मु0अ0सं0 746/14 धारा 363 , 366 , 376 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना बाँसी बनाम विक्रम यादव उर्फ ओमप्रकाश यादव पुत्र शिवप्रसाद यादव , निवासी ग्राम- हरहटा थाना गौरा चौराहा, जनपद बलरामपुर जो क्षेत्राधिकारी बाँसी द्वारा चिन्हित किया गया था । जिसमें अभियुक्त विक्रम यादव उर्फ ओमप्रकाश यादव को मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक : 27.05.2022 को धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास व 10,000 / रु 0 अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 7 वर्ष कठोर कारावास व 5,000 / रु0 अर्थदण्ड व धारा 363 भादवि में तीन वर्ष का कठोर कारावास व 5,000 / रु0 अर्थदण्ड और धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 10,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी । इस प्रकार अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास व 30,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रेस नोट - दिनांक 30.05.2022 थाना महिला थाना जनपद सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 30-05-2022 को महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई- किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 01 परिवार को बिखरने से बचाया गया ।

डॉ0 यशवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 30-05-2022 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया । इस आयोजन में 01 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई । परामर्शन के बाद पत्रावली का सफल निस्तारण संभव हुआ । 01 परिवार को बिखरने से बचाने में म०हे०का० सविता सिंह व महिला आरक्षी नेहा सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।

निस्तारित पत्रावली का विवरण :-

1. नीलम पत्नी राजबली साकिन कटहना थाना जोगिया उदयपुर जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट - दिनांक 30.05.2022

दिनांक 30 05 2022 की शाम को कस्बा इटवा में श्री सुरेश चंद्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा थाना इटवा के प्रभारी निरीक्षक व अन्य पुलिस बल के साथ पैदल गस्त किया गया । सड़कों के किनारे शेष बचे अतिक्रमण को भी हटाने हेतु निर्देशित किया गया । प्रभारी निरीक्षक को हिदायत दी गई थी जहां पर अतिक्रमण हट गया है वहां पुनः अतिक्रमण ना हो । कस्बा इटवा चौराहे पर चौराहे के चौड़ीकरण तथा सड़क के किनारे के ट्रान्सफार्मर और बिजली के खंभों को पीछे शिफ्ट कराने हेतु पत्र व्यवहार किया जाए ताकि आवागमन और सुगम हो सके । थाना इटवा पर इटवा सर्किल के थाना मिश्रौलिया गोलहौरा तथा थाना इटवा के उपनिरीक्षक गण के पास लंबित विवेचनाओं की समीक्षा की गई तथा 1 सप्ताह में निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए । सड़क दुर्घटनाओं को रोके जाने हेतु निर्देशानुसार वाहनों का चालान तथा सभी आवश्यक प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए गए ।